

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त एक अग्रगण्य कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाये व कि अंतर्गत अन्य प्राधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में यह आदेश हुआ हो तो यह आदेश एवं विचार अग्रगण्य हिसाब जहाँ जिससे उपरिक्त हो।



आम : कुलीनसिंह
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(काकलिन)
2442462 (फिरोज)
फैक्स : (009) 0751-2041768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/5682

दिनांक : 13/12/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिचय की विधि दिनांक 07 अगस्त, 2012 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार विजया राजे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर को वर्ष 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संगठित बी.बी.ए., बी.पी.ए., बी.कॉम., (समस्त अनिवार्य विषय कंप्यूटर एप्लीकेशन अतिरिक्त विषय) बी.एस-सी. (रसायन वनस्पति प्राणीशास्त्र, आ.पा. माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी अतिरिक्त विषय) एवं पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम के लिये अर्थात् सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तों/प्रतिबंध :-

- परिनियम 28 के अनुसार विविध विषयों में 02-02 शिक्षक और नियुक्त करें। तथा नैरक्षणात्मक स्टाफ अग्रगण्य नियुक्त करें। शर्तों को वेतन भुगतान तैक से करें एवं नियमानुसार भविष्य विधि आदि की करौती करें।
- नरिंग प्रयोगशालाओं के साथ उक्त पाठ्यक्रमों की प्रयोगशालाओं को नहीं मिलाये समस्त प्रयोगशालाएँ परिनिियम 27 तथा पाठ्यक्रमानुसार तैयार करें उनमें रसायन तथा उपकरण पूर्ण करें। जो विषय की प्रयोगशालाएँ आपस में नहीं मिलायें।
- पुस्तकालय में प्रत्येक पाठ्यक्रम को 50-50 शीर्षक अवश्य ग्रन्थ करें।
- क्रीडा प्रारंभ विकसित करें तथा प्रवेश साजगी कर्य करें।
- परिनिियम 27/28 का पालन सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

- पाठार्थ, विजया राजे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर
- अध्यक्ष, मन्त्रालय शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रातमुडा भवन, ओपाल।
- भौतिक अतिरिक्त संचालक, मन्त्रालय शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-बंबल संभान, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप कुलसचिव (परीक्षा, भौतिक) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक 03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाएँ एवं आवश्यक उपकरणों हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)